न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 114/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1. बांकाराम 2.थानाराम 3.जेठाराम 4.नेनाराम पि.महेशाराम 5. हरलाल 6.रामचन्द्र पि.जयराम 7.पेमीदेवी पत्नि जयराम जाति जाट, निवासी खेराज का तला, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.करनाराम पुत्र खुमाराम 2.नीम्बाराम पुत्र नारणाराम 3.मदरूपाराम 4.टीकमाराम 5.रामाराम पि. हिमथाराम 6.तुलछाराम 7.रामचन्द्र 8.खीयाराम पि.देवाराम 9.धनीदेवी पत्नि देवाराम 10.पूनमाराम 11.पूराराम 13.तिलोकाराम पि.कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी खेराज का तला, तहसील चौहटन 13.शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी.चौहटन 14.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – **श्री जगदीश पोटलिया**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल (विप्रार्थी सं. 6 से 12)**
श्री प्रवीण चौधरी (विप्रार्थी सं. 1)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 30.11.2022

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत मौजा खेराज का तला में मूल खसरा सं. 106 पुश्तैनी आया हुआ है जो वक्त सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण [illegible] द्वारा आपसी भाईये बंट अनुसार रजिस्ट्री करवा दी थी । उसी रजिस्ट्री [illegible] अलग कर दी गई। जिससे बंटवाड़ा होने पर प्रार्थीगण को खसरा सं. 1101/106 रकबा 33.04 बीघा, खसरा सं. 1103/106 रकबा 48.13 बीघा एवं विप्रार्थीगण सं. 1 [illegible] खसरा सं. 1100/106 [illegible] 40.05 बीघा, खसरा सं. 1104/106 रकबा 41.12 बीघा व विप्रार्थी सं. 2 का खसरा सं. 1097/106 रकबा 32.10 बीघा, खसरा सं. 1099/106 रकबा 49.07 बीघा व विप्रार्थी सं. 3 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

का खसरा सं. 1098/106 रकबा 32.10 बीघा, खसरा सं. 1102/106 रकबा 49.07 बीघा और विप्रार्थी सं. 6 से 12 का खसरा सं. 106 रकबा 163.05 बीघा के आये हुए है।

उक्त खेत का मूल खसरा सं. 106 प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूषों के नाम खातेदारी में दर्ज थी बाद में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा आपसी भाइये बंट अनुसार रजिस्ट्री करवा दी थी, उसी रजिस्ट्री अनुसार बंटवाड़ा कर अलग अलग तरमीम मौके पर की गई। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय मौके पर खसरे व रकबे गलत दर्ज कर दिये ।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जा काश्त अनुसार तरमीम न करते हुए प्रार्थीगण का खसरा सं. 1100/106 रकबा 32.10 बीघा की जगह खसरा सं. 1103/106 रकबा 48.13 बीघा जबकि प्रार्थीगण खसरा सं. 1100/106 रकबा 32.10 बीघा पर काबिज है व खसरा सं. 1101/106 रकबा 49.07 बीघा की जगह भूलवश रकबा 33.04 बीघा का अंकन कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण 49.07 बीघा पर काबिज है। मौके पर कब्जा काश्त सही है लेकिन खसरो व रकबे का गलत इन्द्राज कर दिया गया जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी तथा विप्रार्थी सं. 7,10,12 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त बावजूद अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी सं. 6 से 9 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिस पर उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिसके आधार पर विप्रार्थी सं. 6 से 9 व 11 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 6 से 9 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई।

विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील की ओर से [illegible] का जवाब पेश किया गया। तथा विप्रार्थी सं. 1 के वकील के जवा[illegible] सं. 6 से 12 के वकील की ओर से एक प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया गया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी सं. 6 से 12 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिसके आधार पर न्यायहित में विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

रिपोर्ट मंगवाने का स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार चौहटन को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट पर अपनी आपति पेश करते हुए एक बार और पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 6 से 12 की बहस सुनी गई । न्यायहित में विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार चौहटन को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन किया गया। विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट पर फिर से अपनी आपति दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अथवा नाप चौक नहीं किया गया। जिससे एकबार फिर गलत मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई है।

वकील विप्रार्थी सं. 6 से 12 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थी सं. 6 से 12 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहते है। अतः उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। जिसके आधार पर विप्रार्थी सं. 6 से 12 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का खारीज किया गया। जिसका विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से तीसरी बार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवेदन का निस्तारण करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी सं. 6 से 12 के वकील ने अपनी बहस में तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट पर फिर से अपनी आपति करते हुए निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अथवा नाप चौक नहीं किया गया। जिससे एकबार फिर गलत मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई है। इसलिए उन्हें मूल आवेदन / मौका रिपोर्ट पर बहस का समय दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आपति करते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थीगण सं. 6 से 12 के अधिवक्ता द्वारा बहस का समय मांगकर आंवेदन के निस्तारण में विलम्ब करना चाहते है। उक्त आवेदन में तीसरी बार मौका रिपेार्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः बहस के लिए और समय न दिया जाकर आज की आवेदन का निस्तारण करावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त अनवान के आवेदन तीन बार मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण मौके की स्थिति में रजिस्ट्री अनुसार म्यूटेशन भरते समय जो त्रुटी हुई उसकी दुरस्ती करवाना चाहते है तो न्यायालय के मतानुसार उचित है। इसके अतिरिक्त उक्त दुरस्ती से रजिस्ट्री के पड़ौस में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही विप्रार्थी सं. 6 से 12 किसी तरह से प्रभावित हो रहे है। अतः न्यायालय के मतानुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.11.2022 के परिशिष्ट "B" अनुसार दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट 14.11.2022 मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(भागीरथराम ॥)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested

"A" ... 114/2021 ... खतवा

परिशिष्ट "B"

"(वाद) आवेदन सं. 114/2021 अनवाल बांकाराम वगैरह बनाम करनाराम वगैरह"

वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार स्थिति

ग्राम – खैराज का तला

पैमाना - 1" = 80 गट्ठा

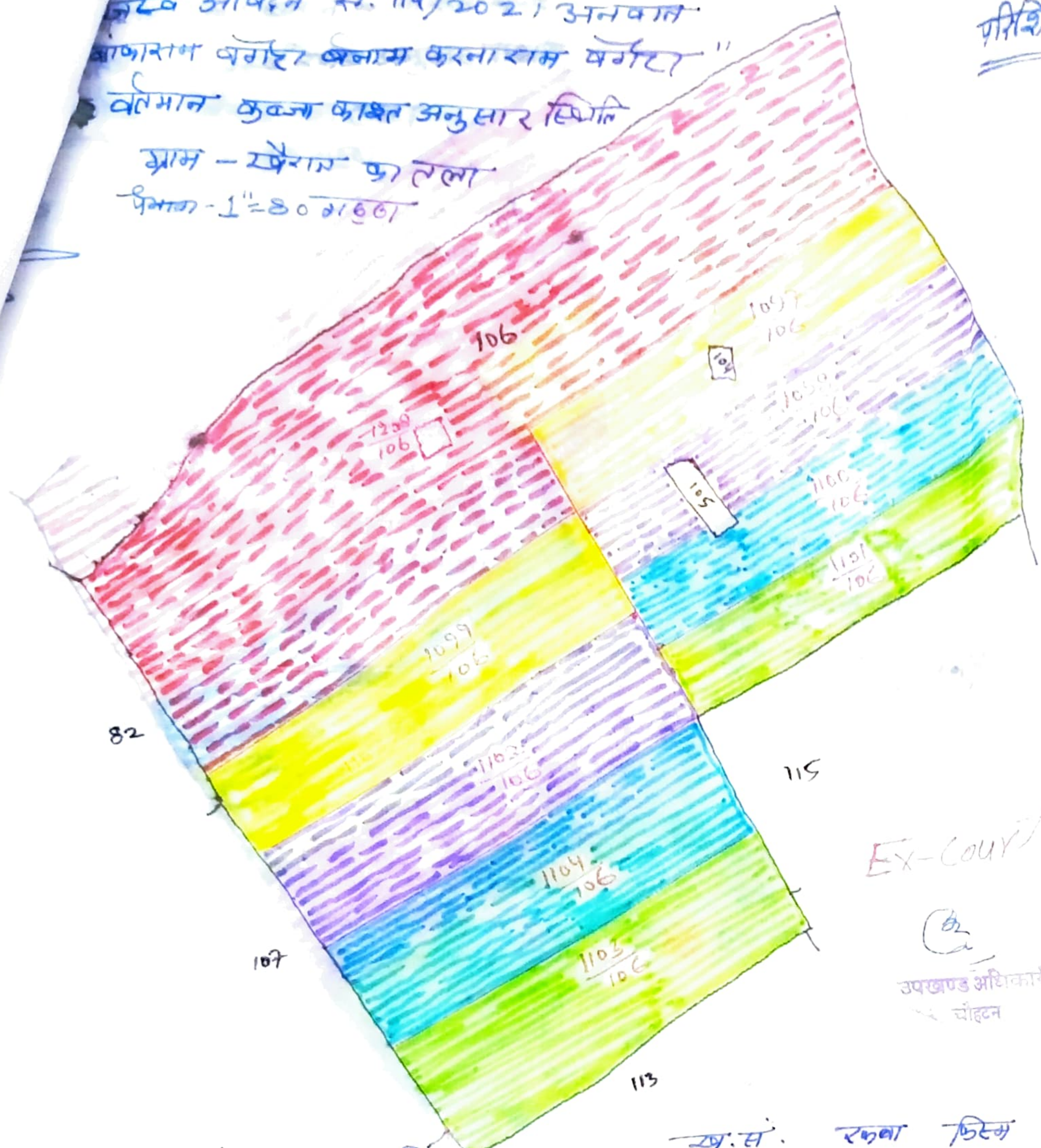

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	करनाराम पुत्र खुमाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन JTGB शाखा चौहटन में।	1100/106	32.10	बा.दो.	2.28	(नीला)
		1104/106	49.07	बा.दो.	3.45	
		कुल = 02	81.17	बा.दो.	5.73	
2.	नीम्बाराम पुत्र नारणाराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन JTGB शाखा	1097/106	32.10	बा.दो.	2.28	(पीला)
		1099/106	49.07	बा.दो.	3.45	
		कुल = 02	81.17	बा.दो.	5.73	
3.	मदरूपा टीकमा रामा पि. हिमथा कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मदरूपा का हि. PNB चौहटन में।	1098/106	32.10	बा.दो.	2.28	(बैंगनी)
		1102/106	49.07	बा.दो.	3.45	
		कुल = 02	81.17	बा.दो.	5.73	
4.	बांकाराम भानाराम जेठाराम नैनाराम पि. मेहराम रामचन्द्र हरलाल पि. जगराम प्रेमी देवी पत्नी जगराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन बांकाराम का हि. RMGB चौहटन में।	1101/106	32.10	बा.दो.	2.28	(हरा)
		1103/106	49.07	बा.दो.	3.45	
		कुल = 02	[illegible]	[illegible]	5.73	
5.	तुलछाराम रामचन्द्र खींयाराम पि. देवा ... धनी देवी पत्नी देवा पूनमा पूरा तिलोका ... कुंभा कौम जाट सा. देह खातेदार रहन रामचन्द्र खींयाराम पि. देवा पूनमा पूरा तिलोका पि. कुंभा का हि. BOB चौहटन में।	[illegible]	[illegible]	बा.दो.	114.3	(लाल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी
LR तहसीलदार
पं. केलाउ
नायब तहसीलदार चौहटन
बाबूलाल
भूराराम
करनाराम (विपक्षी)
(विपक्षी)
बांकाराम (प्रार्थी)